जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 07.05.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 04 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 366/2025 धारा 115(2),352, 351(3),191(2), 105 बीएनएस मे वांछित अभियुक्तगण 1. प्रभुनाथ पुत्र दुर्बली 2.श्रीराम पुत्र दुर्बली 3. इन्दल यादव पुत्र मिठ्ठू यादव 4. दीपक यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासीगण सरैया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीनगर को आज दिनांक 07.05.2025 को जोरवा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 03.05.2025 को रात्रि में लगभग 10:45 बजे शिकायतकर्ता कुलदीप यादव पुत्र राम लखन यादव निवासी सरैया थाना खलीलाबाद द्वारा तहरीर दिया गया कि पूर्व के जमीन विवाद को लेकर उनके साथ गांव के ही अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मारपीट की गई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 366/25 धारा 115 (2), 352, 351(3), 191(2) बी0 एन0 एस0 बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मारपीट में वादी की बहन अनुष्का यादव पुत्री रुदल यादव उम्र करीब 19 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिनको उपचार के बाद जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर तत्पश्चात बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर किया गया था जहां से उचित उपचार के लिए के0जी0एम0यू0 लखनऊ रेफर किया गया था । दिनांक 06.05.2025 को अनुष्का उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 07.05.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, हे0का0 आकाश कुमार, हे0का0 नरेश गुप्ता, का0 श्याम नारायण यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 15/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता कोके उर्फ रामसुभग पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी कैथवलिया टोला धुसुकपुरवा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 07.05.2025 को हनुमान मन्दिर धुसुकपुरवा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.01.2025 को थाना बेलहरकला पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के दिनाँक 17.01.2025 को शादी का झांसा देकर घर से भगा जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.05.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राधेश्याम, उ0नि0 श्री प्रमेश मिश्रा, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी, का0 प्रदीप कुमार साह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141वाहनों से 1,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 141 वाहनों से 1,58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

।*"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मानिटरिंग सेल व थाना धनघटा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के अपराध से संबंधित 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व रूपये 3000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी*

दिनांक 06.02.2005 को वादिनी के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना धनघटा पर एनसीआर नं0 27/2005 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 बनाम लालमन पुत्र दहारी निवासी भरतपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर पंजीकृत हुआ। जिसमें बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में पैरवी सेल संतकबीरनगर एवं थाना धनघटा पुलिस की सशक्ति व प्रभावी पैरवी से दिनांक 07.05.2025 को माननीय न्यायालय जे0एम0 संतकबीरनगर द्वारा दोष सिद्धि पर अभियुक्त लालमन उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व रूपये 3000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी, अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. लालमन पुत्र दहारी निवासी भरतपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

सजा का विवरण-

जेल में बिताई गयी अवधि व रूपये 3000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट *जनपद संतकबीरनगर* *दिनांक 07.05.2025*

सुरक्षा मॉक ड्रिल: युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षा और सजगता का सजीव अभ्यास सीमावर्ती जिले में युद्ध जैसे हालात से निपटने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर।

☐ -सायरन, ब्लैकआउट और इवैक्युएशन जैसे सभी बिंदुओं पर हुआ सघन अभ्यास

☐ -गाँवों में चौपाल और शहरों में मुनादी कर जनता को किया गया जागरूक

☐ -चिकित्सा, पुलिस, फायर ब्रिगेड और होम गार्ड्स की रही सक्रिय भागीदारी

☐ -आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में किया गया मॉक ड्रिल, नागरिकों को दिए गए दिशा-निर्देश

संतकबीरनगर: देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सतर्कता का बिगुल बजा दिया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के बाद देश की सीमाओं और आंतरिक हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तहस-नहस कर दिया। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर ज़िले, जो कि गोरखपुर जोन का हिस्सा है मॉक ड्रिल का उद्देश्य आम नागरिकों, सरकारी विभागों और सुरक्षाबलों को संभावित युद्ध या आतंकी हमले की स्थिति में त्वरित, समन्वित और प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार करना था। यह पूरी तैयारी जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी,अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशों के तहत की गई, जिनके नेतृत्व में जिले के सभी प्रशासनिक और सुरक्षा विभागों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

प्रशासन का विभागीय समन्वय

6 मई को संतकबीरनगर ज़िले में जिला प्रशासन एवं पुलिस की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, मेडिकल विभाग, विद्युत विभाग, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मॉक ड्रिल की रूपरेखा तैयार की गई और विभागवार कार्यों का निर्धारण किया गया।

प्रशासनिक तैयारी-

- सायरन के माध्यम से हमले की चेतावनी देना।
- ब्लैकआउट की व्यवस्था (समस्त रोशनी बंद करना)।
- महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संयंत्रों का छलावरण (कैमुफ्लाज)।
- अस्पतालों और आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखना।
- जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की योजना यानी 'इवैक्युएशन प्लान'।
- सभी विभागों का संयुक्त अभ्यास और तत्परता की समीक्षा।

☐ ड्रिल की मुख्य गतिविधियाँ-

7 मई को शाम 8:00 बजे पूरे जिले में सायरन बजाकर 'एयर रेड' की सूचना दी गई। इसके बाद 8:20 बजे से लगभग 20 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया, जिसमें सभी घरों, प्रतिष्ठानों और सड़कों की लाइटें बंद कर दी गईं। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख स्थलों पर विशेष अभ्यास किया गया।

पुलिस लाइन की हाईराइज बिल्डिंग- जहां ऊँचाई से निगरानी की गई और प्रतिक्रिया समय मापा गया।

☐ जन जागरूकता और ग्रामीण भागीदारी- संतकबीरनगर ज़िले के ग्रामीण इलाकों में विशेष चौपालों का आयोजन किया गया, जहाँ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को युद्ध जैसी आपात स्थिति में कैसे जान-माल की रक्षा करनी है, इस बारे में प्रशिक्षण दिया। ग्रामीणों को ब्लैकआउट, बंकरों का उपयोग, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित जल-स्रोत और खाद्य सामग्री की पूर्व तैयारी जैसे विषयों पर जानकारी दी गई।

शहरी क्षेत्रों में मोहल्लों में मुनादी (घोषणाएं) करवा कर लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी दी गई। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक किया गया कि संकट की घड़ी में घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लें। जनता से लगातार यह अपील की गई कि मॉक ड्रिल को गंभीरता से लें, यह अभ्यास केवल एक दिन का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए किया गया पूर्वाभ्यास है।

☐ जनता के लिए दिशानिर्देश-

-ब्लैकआउट के दौरान सभी प्रकार के प्रकाश स्रोत (बल्ब, ट्यूबलाइट, इनवर्टर, मोबाइल फ्लैशलाइट) बंद रखें।

-खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे या काले कागज लगाएं ताकि बाहर रोशनी न दिखाई दे।

-एयर रेड सायरन बजते ही शांतिपूर्वक अपने घर के मजबूत हिस्से या किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लें।

-पहले से सुरक्षित शरण स्थलों का पता कर लें और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग निश्चित रखें।

-प्राथमिक चिकित्सा किट, सूखा भोजन, पीने का पानी और आवश्यक दवाएं तैयार रखें।

-मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें और अफवाहों से बचें।

-सड़क पर होने की स्थिति में वाहन को किनारे खड़ा कर लाइट बंद करें।

-किसी भी संदिग्ध वस्तु, बैग या बम जैसी सामग्री को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचित करें।

☐ मॉक ड्रिल का उद्देश्य और निष्कर्ष- मॉक ड्रिल केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा नीति का एक सक्रिय और जागरूकता-आधारित स्तंभ है। इसका मूल उद्देश्य है—आम नागरिकों को संभावित आपदा की स्थिति में मानसिक, भौतिक और सामूहिक रूप से तैयार करना साथ ही साथ यह मॉक ड्रिल न केवल प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा थी, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि आपदा की घड़ी में पूरा जिला एकजुट होकर प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।